न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 224 / 2020 निर्णय दिनांक :–25.09.2020

उनवानी दावा :

1. जगदीश पुत्र भुवानाराम जाति माली निवासी ग्राम पनवाड तहसील देवली, जिला टोंक राजस्थान।

– अपीलान्ट –

बनाम

1. ग्राम पंचायत पनवाड़, जरिए सरपंच ग्राम पंचायत पनवाड तहसील देवली जिला–टोंक राजस्थान।

– रेस्पोडेन्ट –

उपस्थिति :–
श्री बन्शी लाल कलवार
अधिवक्ता अपीलान्ट

एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 1983 दिनांक 05.08.2019
आदेश सरपंच ग्राम पंचायत पनवाड़

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के हक में भरे गये नामान्तकरण संख्या 1983 दिनांक 5.08.2019 को रेस्पोडेन्ट ने गलत रूप से खारिज किया है। इस कारण नामान्तकरण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट जगदीश ने आराजी ख. नं. 1008 रकबा 0.07 है0, ख. नं. 1043 रकबा 0.01 है0, ख. नं. 1044 रकबा 0.01 है0, ख. नं. 1045 रकबा 0.01 है0, किस्म चाही प्रथम कुल किता 4 कुल रकबा 0.10 है वाके तन ग्राम पनवाड़ तहसील देवली में स्थित भूमि को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र केसरलाल, रामकरन, हरनाथ, पुत्र व मोहनी पुत्री बरधा व रामस्वरूप, मेवाराम पुत्र रामप्यारी पुत्री व हीरा देवी पत्नी स्व. हजारी जाति माली निवासी पनवाड़ से दिनांक 27.06.2018 को कीमतन खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है, तभी से उक्त आराजीयात भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलान्ट ने उक्त खरीद शुदा भूमि का नामान्तकरण खुलवाने हेतु पटवारी हल्का को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के साथ

जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की थी उसी के आधार पर नामान्तकरण भरा गया था, लेकिन पटवारी हल्का ने साजिश रचकर राजस्व रिकार्ड में लाल पेन से विक्रय–पत्र होने व नामान्तकरण भरने के पश्चात् लाल पेन से बाद में नाम लिखा है। तहसीलदार जी की अनुमति के बिना राजस्व रिकार्ड में गुलाब पत्नि बरधा का नाम अंकित कर दिया और जब नामान्तकरण का जमाबंदी से मिलान किया गया तब गलत रूप से कानूनी प्रावधानों के विपरित जाकर उक्त नामान्तकरण को खारिज कर दिया जो विधि विधान एवं तथ्यों के विपरित होने से जो नामान्तकरण खारिज किया गया जो गलत रूप से खारिज किया गया है। नामान्तकरण स्वीकार किये जाने योग्य है। यह है कि रेस्पोडेन्ट को विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण भरकर तस्दीक कर स्वीकार करना चाहिये था, यदि गुलाब पत्नि बरधा का नाम शेष रह रहा था या छुट रहा था तो उसे राजस्व रिकार्ड में अंकित कर देना चाहिए था, ऐसा नहीं करके रेस्पोडेन्ट ने कानूनी रूप खारिज किया गया है। नामान्तकरण स्वीकार किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट को विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण भरकर तस्दीक कर स्वीकार करना चाहिये था, यदि गुलाब पत्नी बरधा का शेष रह गया था या छूट रहा था तो उसे राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर देना चाहिये था, ऐसा नहीं करके रेस्पोडेन्ट ने कानूनी भूल की है। अपीलान्ट के नाम विक्रय रजिस्टर्ड होने क बाद अपीलान्ट ने रजिस्ट्री की नकल हल्का पटवारी को नामान्तकरण खोलने हेतु दे दी थी, उन्होने अपीलान्ट को आश्वासन दिया था, कि आपके नाम नामान्तकरण खोल दूंगा व ग्राम पंचायत में तस्दीक करवा दूंगा, इस कारण अपीलान्ट ने पटवारी हल्का की बात पर विश्वास कर कोई ध्यान नहीं दिया। आज से करीब 15 दिन पूर्व अपीलान्ट को पता लगा कि विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण खारिज कर दिया गया, जिस पर अपीलान्ट को दिनांक 04.08.2020 को जानकारी हुई तथा दिनांक 13.08.2020 को नामान्तकरण की नकल हेतु तहसील में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके उपरान्त दिनाक 17.08.2020 को नकल मिली। आज से करीब 15 दिन पूर्व ज्ञान होने पर यह अपील अन्दर मियाद पेश है।

रेस्पोडेन्ट की तलबी जारी की गई। रेस्पोडेन्ट बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने एक एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

बहस में अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के मुख्य तथ्यो को ही दोहराया।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज पंजीबद्ध विक्रय पत्र क्रमांक 925 दिनांक 26.06.18 से केसरलाल, रामरतन, हरनाथ पुत्र व मोहनी पुत्री बरधा व रामस्वरूप , मेवाराम पुत्र रामप्यारी पुत्री व हीरा देवी पत्नी स्व. हजारी जाति माली निवासी ग्राम पनवाड़ ने जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 784 ख. नं. 1008 रकबा 0.07 है0, ख. नं. 1043 रकबा 0.01 है0, ख. नं. 1044 रकबा 0.01 है0, ख. नं. 1045 रकबा 0.01 है0, वाके ग्राम पनवाड़ का विक्रय अपीलान्ट को किया है। जमाबन्दी सम्वत 2071–74 में लाल पेन से पटवारी द्वारा गुलाब पत्नी स्व. छूट जाने से बाद में लिखा हुआ पाया गया। नामान्तकरण रजिस्टर ग्राम पनवाड़ के नामान्तकरण संख्या 1983 के कॉलम संख्या 9 में सही भरा गया परन्तु दिनांक 05.08.2019 को सरपंच ग्राम पंचायत पनवाड़ द्वारा जमाबन्दी एवं विक्रयपत्र का मिलान नहीं होने का कारण लिखकर नामान्तकरण अस्वीकार किया गया। उक्त के विश्लेषण से जाहिर होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा जमाबन्दी में गुलाब पत्नी स्व. लाल पेन से अंकित होने से नामान्तकरण अस्वीकार किया गया है। जमाबन्दी में किसी खातेदार का नाम छूट जाना राजस्व कार्मिको की त्रुटि है, जिसके आधार पर ही पंजीबद्ध विक्रय पत्र के नामान्तकरण को अस्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हे। अतः तहसीलदार देवली को यह नामान्तकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पंजीबद्ध विक्रय पत्र व ग्राम पनवाड़ के राजस्व रिकॉर्ड की जांच कर नामान्तकरण तस्दीक करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली